उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1074/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.223-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(277)-2023

लखनऊः दिनांकः 26 जुलाई, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की संस्तुतियों के आधार पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I- 2.5% में,

i. क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"99ख	1905	एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों";

ii. क्रम संख्या 108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"108क	2309	फिश सोल्युबल पेस्ट";

iii. क्रम संख्या 156क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"156ख	2619	लिंज-डोनाविट्ज (एलडी) स्लैग";

iv. क्रम संख्या 218क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"218कक	56050020	इमिटेशन ज़री धागा या सूत, जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता है";

ख. अनुसूची II-6% में, क्र. सं. 137 के समक्ष, स्तम्भ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि (i) "टेक्सटाईल धागा का सम्मिश्रण वाला असली जरी धागा (स्वर्ण) और रजत धागा (ii) नकली जरी धागा या सूत जिसे व्यापारिक भाषा में किसी भी नाम से जाना जाता हो" से भिन्न "धात्वीकृत सूत चाहे जिंप है या नहीं, जो टेक्सटाइल सूत है या शीर्ष संख्या 5404 और शीर्ष संख्या 5405 की पट्टी और वैसी ही वस्तुएं जो धागे, पट्टी या चूर्ण के रूप में धातु से संयुक्त हो या धातु से आच्छादित हो" रख दी जायेगी।

ग. अनुसूची III -9% में,

i. क्रम संख्या 16 के समक्ष स्तम्भ (3) में, शब्द "टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों" के स्थान पर, शब्द "टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के टोस्टेड उत्पादों, एक्स्ट्रूशन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" रख दिया जाएगा;

ii. क्रम संख्या 28 के समक्ष, स्तम्भ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "लिंज़-डोनाविट्ज़ (एलडी) स्लैग से भिन्न लोहे या स्टील के विनिर्माण से स्लैग, डॉस (दानेदार स्लैग से भिन्न), स्केलिंग और अन्य अपशिष्ट स्लैग" रख दिया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

26/7/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव